



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2418]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941

No. 2418]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का. आ. 2649(अ).—केन्द्रीय सरकार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 25 जुलाई, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 30 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 13(6)/2018-ईजी-II]

गोपालकृष्णन स., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O. 2649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019 (14 of 2019), the Central Government hereby appoints the 25th day of July, 2019, as the date on which the provisions of sections 1 to 30 of said Act shall come into force.

[F. No. 13(6)/2018-EG-II]

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.